

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

- 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2026
कहा जाएगा।
(2) यह दिनांक 8 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 8
सन् 2012 की
धारा 76 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में, धारा 76 की उपधारा (1) में, खण्ड (घघ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात्—

“(घघघ) इस संहिता के प्रवर्तन के दिनांक से, जिला—पीलीभीत, लखीमपुर—खीरी, रामपुर और बिजनौर में पुनर्वासित प्रत्येक व्यक्ति, जो—

(एक) भारत/पाकिस्तान के विभाजन के समय विस्थापित हुआ था और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधीन भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हो;

अथवा

(दो) अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो;

अथवा

(तीन) उपनिवेशन योजना/कॉलोनाइजेशन स्कीम के अधीन बसाया गया हो;

और इस संहिता के प्रारम्भ होने से पूर्व, वह सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के अधीन कृषिक पट्टेदार हो एवं धारा 77 में उल्लिखित भूमि से भिन्न भूमि पर उसका खेतिहर कब्जा हो तथा खतौनी में श्रेणी—1ख में इस रूप में अभिलिखित हो:

परन्तु यह कि जहाँ किसी व्यक्ति की कब्जे की भूमि और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत कोई अन्य भूमि, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, वहाँ ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रथम उल्लिखित भूमि के उतने क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा धृत ऐसी अन्य भूमि को मिलाकर उस पर लागू अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत होगा और उक्त क्षेत्र उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार विहित रीति से सीमांकित किया जायेगा;

(घघघघ) इस संहिता के प्रवर्तन के दिनांक से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधीन भारतीय नागरिकता के लिए पात्र प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत/पाकिस्तान के विभाजन के समय विस्थापित हुआ था और जिला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर तथा बिजनौर में 25 अक्टूबर, 1980 से पूर्व, इस संहिता की धारा 59 के अधीन धारा 77 में उल्लिखित भूमि से भिन्न ग्राम सभा में निहित किसी भूमि या राज्य सरकार द्वारा अनुदान दी गयी किसी भूमि या राज्य सरकार की किसी भूमि पर जिसका खेतिहर कब्जा हो, परन्तु यह कि प्रति परिवार 1 एकड़ से अधिक जोत पर असंक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्रदान नहीं किये जायेंगे:

परन्तु यह कि जहाँ किसी व्यक्ति की कब्जे की भूमि और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत कोई अन्य भूमि, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, वहाँ ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रथम उल्लिखित भूमि के उतने क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा धृत ऐसी अन्य भूमि को मिलाकर उस पर लागू अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत होगा और उक्त क्षेत्र उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार विहित रीति से सीमांकित किया जायेगा।”

निरसन और
व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2026) और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2026) एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में भू-धृति और भू-राजस्व से सम्बंधित विधि को समेकित एवं संशोधित करने तथा उससे सम्बंधित और आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) अधिनियमित की गयी है।

भारत के विभाजन और उत्तरवर्ती पाकिस्तान के निर्माण एवं वर्ष 1971 में उत्तरवर्ती बांग्लादेश के उद्गम के पश्चात् वहाँ से हजारों विस्थापित/पुनर्वासित परिवारों को तत्समय उपलब्ध विभिन्न श्रेणी की भूमियों पर बसाया गया। भारत विभाजन के समय कई परिवारों ने सीमा पार की और पंजाब एवं पाकिस्तान (तब अविभाजित भारत) के अन्य प्रान्तों से भारत में प्रवेश किया तथा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर एवं बिजनौर जिले के विभिन्न भागों में रिक्त भूमि पर निवास कर तथा अपनी जीविकोपार्जन हेतु कृषि कार्य आरम्भ करते हुए शरण ली। चूंकि इनके द्वारा अध्यासित भूमि उपनिवेशन योजना, ग्राम सभा, सीलिंग, वन एवं अन्य विभागों से सम्बंधित भूमि है और विस्थापन के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण इन परिवारों को 50 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी भूमिधरी अधिकार नहीं प्रदान किये गये हैं। भूमिधरी अधिकारों का अभाव होने के कारण उक्त विस्थापित/पुनर्वासित परिवारों को बैंक ऋण प्राप्त करने के साथ-साथ कृषि उपजों का सरकारी खरीद केन्द्रों पर विक्रय करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से विस्थापित एवं जिला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर एवं बिजनौर में बसे परिवारों/कृषकों की पूर्वोक्त समस्याओं के समाधान व भूमिधरी अधिकार प्रदान किये जाने के लिए विभिन्न स्रोतों से लम्बे समय से निरन्तर अनुरोध प्राप्त हुये हैं। उक्त प्रकरण राज्य विधान मण्डल में एवं राज्य विधान मण्डल की विभिन्न समितियों में अनेक बार उठाया गया है तथा विभिन्न जन-प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित विस्थापित व्यक्तियों द्वारा भूमिधरी अधिकार प्रदान किये जाने का निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत जिला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर एवं बिजनौर में बसे परिवारों/कृषकों की समस्याओं के समाधान और उन्हें भूमिधरी अधिकारों का उपबंध करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 76 को संशोधित किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी। अतः राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उ०प्र० अध्यादेश संख्या 13 सन् 2026) दिनांक 23 मई, 2026 को प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।